न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 29/2021 बउनवानी असरार अहमद बनाम लो.सू.अधि.एवं मुख्य कार्यकारी अधि.जि.प.स0
तबरेज मंजिल शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/70

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.7. 2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 30.01.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. बम्बोरी से नेहा नगर को जोडने वाला सी.सी.रोड जो खेरदा हाईवे को रेल्वे पुलिया के नीचे होते हुए बनाया गया है उसका कितने करोड़ का बजट था तथा कार्यकारी ऐजेन्सी कौन थी, किस ठेकेदार द्वारा किन शर्तो पर कार्य किया गया था कि जानकारी दस्तावेजो सहित उपलब्ध करवायी जावे।
2. उपरोक्त बम्बोरी सी.सी.रोड़ का बजट किस मद में आकर कितना व्यय हुआ उक्त रास्ते की लम्बाई एवं चौडाई की जानकारी भी दस्तावेजो सहित उपलब्ध करवायी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित प्रतिनिधि ने लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक सू.का.अ./2011–12/349 दिनांक 23.6.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2021 मे चाही गयी सूचना का जिला परिषद कार्यालय से नही होने के कारण अधिनियम की धारा 6(3) के तहत मूल आवेदन पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाईमाधोपुर को जरिये पत्रांक 3069 दिनांक 10.2.2021 से अन्तरित किया गया। जिसके संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 2678–81 दिनांक 18.2.2021 से अवगत कराया कि उक्त आवेदन पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर से होने के कारण मूल आवेदन पत्र संबंधित विभाग को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर दिया गया है। चूंकि चाही गयी सूचना का संबंध आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर के कार्यालय से है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत प्रतिनिधि द्वारा निवेदन किया गया।

प्रतिनिधि द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.1.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का संबंध आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर के कार्यालय से होने के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाईमाधोपुर को एवं विकास अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के तहत [illegible] को अन्तरित कर दिया गया है। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध [illegible] समिति कार्यालय से नही होकर आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर [illegible] नगर परिषद को अन्तरित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे [illegible] की जाती है। साथ ही [illegible] कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को निर्देशित किया जाता है [illegible] भविष्य में उक्त अधिनियम [illegible] 6(3) के तहत अन्तरित किये जाने वालों प्रार्थना पत्रों को सीधे ही संबंधित विभाग को अपने स्तर से ही अन्तरित किया जावे ताकि अनावश्यक समय खराब ना हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर